न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2009/00015

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र छीतरमल ब्राहम्ण,
2. सुवालाल पुत्र वजूलाल रेबारी, निवासीगण बरवाड़ा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र गंगासहाय,
2. सुरेश पुत्र गंगासहाय, जातियान बलाई निवासीगण मानावत भवन, कुम्हारों का मौहल्ला, गढवाली स्कूल के पास कस्बा रेनवाल, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. शांति पुत्री गंगासहाय,
4. मनभरी पुत्री गंगासहाय,
5. विनोदी पुत्री गंगासहाय, जातियान बलाई, निवासीगण ग्राम देव का हरमाडा वाया चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. गुल्ली उर्फ ग्यारसीदेवी बेवा गंगासहाय **(फौत)**
7. सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू तहसील चौंमू जिला जयपुर।
8. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री रामप्रताप ढेबाणा, निवासी 20, जयश्री नगर, रोड नम्बर 14, जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

दिनांकः 30.12.2025

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2007 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 14.07.1999 ग्राम बरवाडा जो गंगासहाय पुत्र गुलाबचन्द बलाई के नाम स्वीकृत किया गया था, कि अपील न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहॉ करने पर न्यायालय अति.कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने निर्णय दिनांक 12.02.2002 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम बरवाड़ा को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया कि मामले एवं रिकार्ड का पुनः परीक्षण कर तथा मौका निरीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों का जवाब लेकर विवादित खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.77 हैक्टयर जो खसरा नम्बर 422/567 से बनाये गये थे जिनका तुलनात्तक क्षेत्रफल अपीलान्ट ने पेश किया था किन्तु मिलान क्षेत्रफल में सहवन से उक्त खसरा नम्बरान को गत खसरा नम्बर 422 के नये नम्बर सहवन से दर्शा दिये गये। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. गंगासहाय पुत्र गुलाबचन्द बलाई को साबिका खसरा नम्बर 422 में से 9 बिस्वा का आवंटन किया गया था जिसका न तो कोई कब्जा था और न ही उसके नाम खातेदारी अधिकार दिये गये थे। तब

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उसने सहायक कलक्टर चौमू के न्यायालय में सरकार के विरूद्ध दावा पेश कर डिक्री दिनांक 23.06.1997 को इस आशय की प्राप्त की कि उसे खसरा नम्बर 422 में से आवंटन के अनुसार भूमि में से खातेदार घोषित किया गया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण उक्त खसरा नम्बर 1441 व 1446 ग्राम बरवाडा जो तुलनात्मक क्षेत्रफल में 422/567 के बनाये गये थे तथा उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का गत 30 वर्षो से कब्जा काश्ता निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट और न ही रेस्पोडेन्ट को सुना और न ही सहादत वगैरह ली गई। केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट व हाल के वर्षो के खसरा परिवर्तनशील के आधार पर यह कहते हुए कि उक्त भूमि सम्वत् 2055 से 2061 पड़त पडी हुई है। जिससे रेस्पोडेन्ट के नाम पुनः अवैधानिकि तरीक से नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया तथा जो मुख्य विवाधक पक्षकारान के मध्य था जिसके लिऐ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ के निर्देश होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से गलत एवं अवैध निर्णय पारित किया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुने पारित कर दिया। जिसका अभिकथन पटवारी हल्का से दिनांक 31.12.2007 को नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ तब नकल निर्णय लेने पर अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम बरवाडा तहसील चौमू में साबिका खसरा नम्बर 422 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 422/567 रकबा 76 बीघा 1 बिस्वा सिवाय चक लगानी भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 से 2023 में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि सिवाय चक में से समय–समय पर काश्तकारों को भूमि आवंटन, नियमन होता आया है। अपीलान्ट को भी खसरा नम्बर 422/567 की भूमि के कुछ भाग पर गत 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जैसा कि मौके जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का बरवाडा दिनांक 06.08.1999, 16.08.2000, व 26.08.2000 से साबित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट मुरलीधर वगैरह ने पूर्व हक अधिकारी गंगासहाय को विवादित भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा में से 9 बीघा भूमि का आवंटन हुआ बताया किन्तु उसके कब्जा भूमि पर वक्त आवंटन नही दिया गया तब गंगासहाय पुत्र गुलाबचन्द ने न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू के दावा संख्या 99/86 तारीख फैसला डिक्री दिनांक 23.06.1997 के द्वारा खातेदारी की डिक्री प्राप्त की, डिक्री की इजरा किये जाने पर तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना तरमीम किये और बिना कब्जा संभलाये नामान्तरकरण संख्या 48 खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.39 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.77 हैक्टयर खोल दिया जिसे अपीलार्थीगण ने सक्षम न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील की, जो स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 48 को निरस्त कर रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में की गई गड़बड़ी को दुरूस्त कराने के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.) आमेर में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पेश किया जो दिनांक

13.11.2000 को स्वीकार किया गया तथा आदेश दिया गया कि खसरा नम्बर 1431, 1441, व 1446 वाके ग्राम बरवाडा का नक्शा ट्रेस के अनुसार किया जावें क्योंकि मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 422/567 के खसरा नम्बर 1441 व 1446 को साबिका खसरा नम्बर 422 के खसरा नम्बर बना दिये गये जबकि क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 1441 व 1446 साबिका खसरा नम्बर 422/567 से बने है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.17 हैक्टयर जो गैर मुमकिन रास्ता है, को मिलान क्षेत्रफल में चढाया ही नही जबकि खसरा नम्बर 1431 क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र में तथा साबिका खसरा नम्बर 422 से बना है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र में साबिका खसरा नम्बर 422 व 422/567 के हाल खसरा नम्बर भिन्न-भिन्न है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को मुताबिक डिक्री दिनांक 23.06.1997 साबिका खसरा नम्बर 422 की भूमि में से 9 बीघा भूमि दी जा सकती है। खसरा नम्बर 422/567 की भूमि कतई नही दी जा सकती। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1441 व 1446 खसरा नम्बर 422/567 से ही बने है। जिन्हे मिलान क्षेत्रफल में गलत इन्द्राज कर दिया गया था। जिसे दुरूस्ती के आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 13.11.2000 को दिये गये है, जो आज तक प्रभावी है। प्रथमतः उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 13.11.2000 की पालना की जाकर ही तत्पश्चात् साबिका खसरा नम्बर 422 से बने, खसरा नम्बरान की भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के पूर्व हक अधिकारी गंगासहाय के नाम खोला जायेगा। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम होगा यदि उनका कोई कब्जा काश्त होगा।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने जवाब व बहस की ताईद में दस्तावेजात भी पेश किये है जिनमें मामला स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1441 व 1446 से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व अपीलीय न्यायालय के निर्णय तथा अपीलान्ट के जवाब व लिखित बहस पर न तो कोई गौर किया और न ही मनन किया तथा समस्त राजस्व रिकार्ड जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गय थे, उसे नजरअन्दाज करते हुए अपना निर्णय गलत व असंवैधानिक व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू के निर्णय दिनांक 31.10.2007 तदानुसार नामान्तरकरण संख्या 48 बरवाडा को निरस्त किया जाकर पुनः अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणागवुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावें।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज गंगासहाय को आराजी खसरा नम्बर 422 में से 9 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जिसका राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज नही होने पर आवंटी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर

चौंमू के समक्ष एक वाद संख्या 99/96 बाबत घोषणा एवं आज्ञात्मक आदेश प्रस्तुत किया गया जो वाद न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.1997 के द्वारा आवंटी के पक्ष में डिक्री किया गया है तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.1997 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 48 स्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सहायक कलक्टर चौंमू द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.1997 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया जाना प्रतीत होता हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.1997 के प्रभावशील एवं प्रचलन में रहते हुए उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकार नामान्तरकरण संख्या 48 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही रहे है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2007 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2007 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।